दिनांक–09.06.2026 को माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में विभाग द्वारा मुख्य अभियंता (पटना/संरचना) के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार

बैठक की कार्यवाही

माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता (पटना/संरचना) के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सभी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में सभी उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं से उनके प्रमंडलों में क्रियान्वित नई योजनाओं के विषय में विस्तार से जानकारी ली गयी तथा उनसे संबंधित निम्न महत्वपूर्ण निदेश दिये गये:–

- विकास भवन, पटना परिसर में अग्निशमन अधिष्ठापन कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–3 द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य कार्यालय अवधि के दौरान बाधित रहता है। जिससे कार्य पूर्ण होने में विलंब हो रहा है।

  उक्त निर्माण कार्य को जल्द–से–जल्द पूर्ण कराने तथा कार्यालयों में कराये जाने वाले इस प्रकार के कार्यों की समय–सीमा भी कार्यालय अवधि के अनुसार तय किये जाने का निदेश दिया गया।
- निदेशित किया गया कि विभिन्न कार्यालय भवनों के गलियारों को सुसज्जित करने हेतु सौंदर्यीकरण कार्य एवं रेनेवेशन, ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन इत्यादि के कार्यों हेतु अलग से निविदा कर ली जाय।
- विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ली जानी वाली Clearances तथा No Objection Certificate इत्यादि भवन निर्माण विभाग द्वारा ही ली जाय ताकि कार्य जल्दी प्रारंभ किया जा सके।
- निदेशित किया गया कि परित्यक्त आवासीय भवन जो उपयोग में नहीं है उनके वर्तमान स्थिति की जाँच कर ली जाय तथा जो भवन खण्डहर हो चुके है, उनको तोड़कर उस भूमि का प्रयोग दूसरे निर्माण कार्यों हेतु किया जाय।

तत्पश्चात् योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गयी जिसकी कार्यवाही निम्नवत् है:–

➢ भवन निर्माण विभाग

- गर्दनीबाग, पटना में प्रस्तावित आवासीय परिसर में तृतीय श्रेणी के कर्मियों के आवासन हेतु टाईप–बी0 (प्लॉट–H, D & O) के तहत 752 यूनिट का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–1 द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण एकरारनामा को विखण्डित किया जा चुका है। दिनांक 22.06.2026 को अंतिम मापी हेतु तिथि निर्धारित की गयी है। शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–1

- बिहार निवास, नई दिल्ली का पुनर्विकास कार्य (EPC आधारित) के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–2 द्वारा बताया गया कि बिहार निवास के Demolition एवं Redevelopment कार्य हेतु इसे अभीतक कार्यकारी एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराया गया है, इस संबंध में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को साईट उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किये जा चुके है।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–2

- छज्जूबाग, पटना में वरीय पुलिस अधिकारियों एवं वरीय सिविल अधिकारियों के लिए आवासीय भवन (B + G + 7), D Type (G+7), एनेक्सी भवन (G+3) एवं गार्ड रूम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त भवन जिला में पदस्थापित केवल सिविल पदाधिकारियों के लिये ही होगा। अतः इस योजना के नाम में इस आशय का संशोधन करने की आवश्यकता है। वर्तमान में निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा की कार्रवाई की जा रही है।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (पटना)

- 60 आवास एवं हॉस्टल परिसर, नेहरू पथ, पटना का पुनर्विकास कार्य के संबंध में निदेश दिया गया कि उक्त स्थल का उपयोग ऑफिस कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु करने की संभाव्यता पर विचार किया जाय।

अनुपालन–मुख्य वास्तुविद् / मुख्य अभियंता (संरचना)

- बिहार भवन, मुबई का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–2 द्वारा बताया गया कि उक्त योजना तकनीकी बीड मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। निदेश दिया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई विभाग द्वारा ही की जाय तथा इस योजना हेतु लीज की शर्तों को भलीभांति देख लिया जाय। भवन के निर्माण के पश्चात इसके रख–रखाव हेतु पूर्व से ही योजना तैयार कर लिया जाय।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (संरचना) / कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–2

- राज्य में बनाये जाने वाले सभी सरकारी अथवा निजी आवासीय भवनों के निर्माण के पश्चात् भवन की मजबूती एवं स्थिरता की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी / संवेदक द्वारा लिये जाने हेतु एक व्यवस्थित प्रणाली की आवश्यकता है। जिसके तहत निर्माण कार्यों में अनुसरण किये जाने वाले भवन उपनियम, निर्माण हेतु उपयोग किये जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता तथा निर्मित भवनों की मजबूती को सुनिश्चित करने तथा उसकी जाँच करने हेतु मानक मापदंड निर्धारित किया जाय। निदेशित किया गया कि लोकहित में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने हेतु नगर विकास तथा अन्य निर्माण विभागों से परामर्श लेते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाय।

अनुपालन–अभियंता प्रमुख / वरिष्ठ परियोजना अभियंता

- स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, गर्दनीबाग, पटना का निर्माण कार्य के संबंध में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–1 के द्वारा बताया गया कि कार्यस्थल का अधिकतम भाग अतिक्रमित है एवं इस संबंध में CWJC No. 2515 of 2026 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। उक्त स्थल पर BSNL के आवास बने हुये है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–1 को इन्हें तोड़ने हेतु जिला पदाधिकारी से बात करने का निदेश दिया गया। साथ ही न्यायालय में विचाराधीन वाद की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या–1

बैठक के अंत में माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा निर्माण कार्यों की उत्कृष्ट गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या का जल्द–से–जल्द निराकरण कर कार्य को त्वरित गति से ससमय पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2019–20(पार्ट–VI)__________ दिनांक–__________

ह0 / –

(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–डी0डी0–1–विविध–49 / 05 / 2019–20(पार्ट–VI) 5890(म2) दिनांक– 25/6/26

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने एवं संबंधित प्रशासी विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

25.6.26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त

–सह–विशेष सचिव